

सोशल मीडिया शक्तियां के लिये अपीलीय समतियों का प्रस्ताव

प्रलिमिस के लिये:

शक्तियां अपीलीय समति, आईटी नियम, 2021।

मेन्स के लिये:

आईटी नियम, 2021 में संशोधन की आवश्यकता।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिये 'शक्तियां अपीलीय समतियों' के गठन का प्रस्ताव रखा गया है।

शक्तियां अपीलीय समतियों:

परचियः

- आईटी नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एक या एक से अधिक 'शक्तियां अपीलीय समतियों' का गठन किया जाएगा।
- अपीलीय समतियों सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शक्तियां अधिकारी के नियन्त्रण के विद्युत प्रयोक्ताओं की अपीलों पर कार्रवाई करेंगी।
- इस समतियों केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होंगे।

कारणः

- सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा नियुक्त शक्तियां अधिकारी के आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्तिशक्तियां अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शक्तियां अपील समतियों अपील कर सकता है।
- शक्तियां अपील समतियों अपील पर तेज़ी से कार्रवाई करेंगी और अपील की प्राप्तिकी तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर अंतमि रूप से अपील का निपटान करने का प्रयास करेंगी।
- शक्तियां अपील समतियों द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

शक्तियां अपीलीय समतियों की आवश्यकता:

- वर्ष 2021 में 'कॉर्टेंट मॉडरेशन एंड टेकडाउन' को लेकर सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच कई गतिरोध उत्पन्न हुए।
 - सरकारी आदेशों के बाद कसिन आंदोलन के समर्थन में संदेश पोस्ट करने वाले समाचार वेबसाइटों, अभिनिताओं, राजनीतिक कार्यकरताओं और ब्लॉगर्स के ट्रिप्टिक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया।
- जैसे-जैसे भारत में इंटरनेट का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, सरकारी नीतियों से संबंधित नए मुद्दे भी सामने आते रहते हैं। अतः ऐसे मुद्दों से निपटने के लिये कमरियों को दूर करना आवश्यक हो जाता है।

आईटी नियम, 2021:

परचियः

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहति) नियम सरकार द्वारा 2021 में अधिसूचित किये गए थे।

मुख्य विशेषताएँ:

- भारत में पंजीकृत उपयोगकरताओं के साथ एक अधिसूचित सीमा से ऊपर सोशल मीडिया मध्यस्थों को महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- SSMI को अनुपालन करने को नियुक्त करने, सूचना के पहले प्रवरतक की पहचान को सक्षम करने और सामग्री की पहचान के

- लिये प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है।
- सभी मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों की शक्तियों के समाधान के लिये शक्तियात नविवारण तंत्र प्रदान करना आवश्यक है।
 - समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशकों के साथ-साथ 'क्यूरेटेड ॲडियो-वज़िुअल' सामग्री के वनियमन के लिये एक रूपरेखा निर्धारित की है।
 - प्रकाशकों के लिये स्व-नियमन के विभिन्न स्तरों के साथ एक त्रिस्तरीय शक्तियात नविवारण तंत्र निर्धारित किया गया है।

SOCIAL MEDIA

- Identify 'first originator' of content that authorities consider anti-national
- Appoint grievance officer, resolve complaints in 15 days
- File monthly compliance report on complaints received, action taken

DIGITAL NEWS

- Follow Press Council of India, Cable TV Networks (Regulation) Act norms.
- Self-regulatory bodies to oversee adherence to Code of Ethics
- I&B Ministry to form panel, oversight mechanism

OTT PLATFORMS

- Self-classify content into five age-based categories: U (universal), U/A 7+ (years), U/A 13+, U/A 16+, and A.

- Parental locks for any content classified as U/A 13+ or above.
- Age verification mechanism for content classified as 'A' (adult)

■ प्रमुख मुद्दे:

- नियम कुछ मामलों में आईटी अधनियम, 2000 के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों से परे जा सकते हैं, जैसे SSMI और ऑनलाइन प्रकाशकों के वनियमन और कुछ मध्यस्थों को जानकारी के पहले प्रवरतक की पहचान करने की आवश्यकता होती है।
- ऑनलाइन सामग्री को प्रतबिधित करने के आधार व्यापक हैं जो अभियक्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।
- मध्यस्थों के पास से सूचना प्राप्त करने के लिये कानून प्रवरतन एजेंसियों के पास प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं हैं।
- इसके मंच पर सूचना के पहले प्रवरतक की पहचान को सक्षम करने के लिये संदेश सेवाओं की आवश्यकता व्यक्तियों की गोपनीयता पर प्रतक्रीया प्रभाव डाल सकती है।

विवित वर्ष के प्रश्न(PYQs):

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपोर्ट करना कानूनी रूप से अनविवार्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा केंद्र
3. निगमति निकाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 (आईटी अधनियम) की धारा 70 बी के अनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतक्रिया टीम (CERTIn) नामक एक एजेंसी को घटना की प्रतक्रिया के लिये राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करना चाहयि।
- केंद्र सरकार ने आईटी अधनियम, 2000 की धारा 70 बी के अंतर्गत वर्ष 2014 में सीईआरटी-इन के नियम स्थापित और अधिसूचित किये। नियम 12 (1) (A) के अनुसार, सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों और कॉरपोरेट निकायों को साइबर सुरक्षा घटनाओं की उचिति समय-सीमा के अंदर CERT-In को रपोर्ट करना अनविवार्य है। अतः कथन 1, 2 और 3 सही हैं।

अतः वकिल्प D सही है।

स्रोतः द हंडू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/proposal-of-appellate-committees-for-social-media-grievance>

